चीनी का निर्यात जरूरी बना सकती है सरकार

[**जयश्री भोसले** & **माधवी सैली** | पुणे & नई दिल्ली]

चीनी उद्योग 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले पेराई सीजन में मौजूदा निर्यात सब्सिडी योजना की जगह निर्यात जरूरी बनाने वाली नीति अपनाए जाने के कयास लगा रहा है। इस बारे में सरकारी अधिकारियों का कहना है कि देश में मौजूद अतिरिक्त चीनी को कैसे निपटाया जाए, उसके लिए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

उद्योग के सूत्रों ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि केंद्र सरकार 'बहुत जल्द' जरूरी चीनी निर्यात नीति का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार ने पिछले साल कच्ची चीनी के निर्यात के लिए ₹4000 प्रति टन की दर से सब्सिडी देने की घोषणा की थी। ऐसा इसलिए कि पिछले पांच साल से चीनी का ज्यादा उत्पादन हो जाने से देश में चीनी की कीमतें बहुत घटी हैं। इससे चीनी मिलों की गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने की क्षमता घटी है। हालांकि, इस साल देश से सिर्फ 10 लाख टन ही चीनी का निर्यात हो सकता है और यहां लगातार छठे साल सरप्लस चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है।

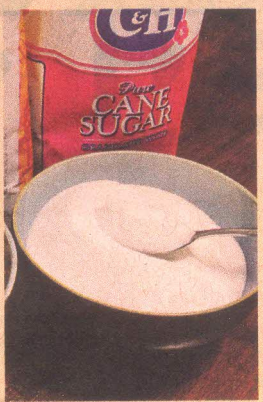

- **केंद्र सरकार** 'बहुत जल्द' जरूरी चीनी निर्यात नीति का ऐलान कर सकती है
- **गन्ना पेराई** का सीजन शुरू होने से पहले चीनी उद्योग और किसानों की मदद के लिए बहुत से प्रस्ताव आए हैं

खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि गन्ना पेराई का सीजन शुरू होने से पहले चीनी उद्योग और किसानों की मदद के लिए बहुत से प्रस्ताव आए हैं। खाद्य मंत्रालय के एक ऑफिसर ने कहा, 'हम इन कयासों को बल नहीं देना चाहते कि हम कंपनियों को चीनी के जरूरी निर्यात के लिए कोटा तय करने जा रहे हैं या हम निर्यात पर और सब्सिडी देंगे।' 2013 से पहले जब चीनी की कीमत पर सरकारी नियंत्रण था, एक चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम बना था और कोटा तय किए गए थे। अगर हम अब ऐसा करते हैं तो यह कोई नई बात नहीं होगी। ऐसा होने देते हैं और जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, हम बात करेंगे।

अगर केंद्र सरकार जरूरी चीनी निर्यात नीति अपनाती है तो चीनी पर कोई निर्यात सब्सिडी नहीं दी जाएगी क्योंकि यह WTO के नियमों के हिसाब से सही नहीं होगा। निर्यात सब्सिडी बगैर अंतरराष्ट्रीय बाजार के मौजूदा दाम के हिसाब से मिल (एक्स-मिल) कच्ची चीनी की कीमत ₹17 प्रति किलो हासिल कर सकेंगे। मौजूदा कीमत के हिसाब से उनको निर्यात पर लगभग ₹6 प्रति किलो का नुकसान उठाना होगा।

लेकिन बहुत सी चीनी मिलों को यह नुकसान उठाने में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र की एक चीनी सहकारिता के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, 'हम 10% चीनी मार्केट प्राइस से नीचे लेवी चीनी के तौर पर बेचते आए हैं। जरूरी निर्यात भी लेवी जैसा होगा। लेकिन इससे हमें अतिरिक्त चीनी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, जो हमारे के लिए फिक्र का बड़ा सबब बना हुआ है।'

लेकिन श्री रेणुका शुगर्स के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र मुरकुंबी के मुताबिक कि चीनी की जरूरी निर्यात व्यवस्था को लागू करना मुश्किल होगा। उनके हिसाब से चीनी का जरूरी निर्यात सिद्धांत तौर पर सही है।

The Economic Times - (Hindi)
18-9-15